कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री लिओन्स सिक्योरिटी सर्विसेज, जी-4/2,पेपर मिल कालोनी निशात गंज, लखनऊ।**

प्रा0प0सं0- **320/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री संजय सिंह सेंगर ,अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 07-07-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी सर्वश्री सृष्टि मेघा इण्टर प्राइजेज के नाम से एकल स्वामित्व में पंजीकृत है।उनके द्वारा सर्वश्री लायन्स सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से एक अन्य पंजीयन प्रार्थना पत्र एकल स्वामित्व में दिया गया था जिसको असिस्टेन्ट कमिश्नर ,कामर्शियल टैक्स,रजिस्ट्रेशन सेल, लखनऊ के द्वारा धारा 32(9)के अन्तर्गत आदेश दिनांक 19-5-08 से अस्वीकार कर दिया गया है । आदेश में उल्लेख किया गया है कि एकल स्वामित्व में दो पंजीयन नम्बर जारी नहीं किये जा सकते है । प्रार्थी का कथन है कि वैट अधिनियम 2008 में इस प्रकार का कोई सेक्शन / रुल नहीं है जिसके अन्तर्गत एकल स्वामित्व में दो पंजीयन टिन नम्बर जारी नहीं किये जा सकते है । अतः प्रार्थी की अपील को स्वीकार करते हुये आदेश देने का अनुरोध किया गया ।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री संजय सिंह सेंगर ,अधिवक्ता उपस्थित हुयें व उन्होनें उपरोक्त तथ्यों को दोहराया ।

3- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या का अवलोकन किया। धारा-59 के प्रार्थना पत्र में की गयी अपील धारा-59 की परिधि से बाहर है।

4- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक 2, सितम्बर,2008

ह0 2.9.08

(दीपक कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।